भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1530
दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान

1530# डा. कल्पना सैनीः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्रीमती महुआ माजीः
श्री नरेश बंसलः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत विशेष रूप से बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में निधियों के राज्यवार वितरण की निगरानी के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की जनसंख्या और ग्रामीण विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन अनुदानों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भविष्य में संवितरणों में निधि उपयोग की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कोई नीतिगत समायोज प्रस्तावित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायती राज मंत्रालय ने बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सहित पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के राज्यवार वितरण और उपयोग की निगरानी के लिए कई उपायों को लागू किया है। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदानों को समय पर जारी करने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ नियमित बैठकें और वार्तालाप करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने ईग्रामस्वराज एप्लिकेशन शुरू किया था, जो पंचायतों / ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान राशि की ट्रैकिंग करने और पीएफएमएस (PFMS) इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं को भुगतान की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, इन अनुदानों का उपयोग करके बनाई गई सभी संपत्तियाँ mActionSoft ऐप के माध्यम से जियो-टैग की जाती हैं। ऑडिटऑनलाइन पोर्टल पंचायत/ ग्रामीण स्थानीय निकाय खातों की समय पर ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करके तथा वित्तीय जवाबदेही को बढ़ावा देकर इसमें और अधिक सहायता करता है। मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए एक समन्वय समिति भी बनाई है जो अनुदानों के उपयोग की निगरानी, कार्यान्वयन के

मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने और राज्यों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में, ये पहल पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के कुशल और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करती हैं।

(ख) पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 60,750 करोड़ रुपये एवं 2021-2026 की अवधि के लिए2,36,805 करोड़ रुपये, आवंटन की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधियों के आवंटन के मानदंड में शामिल हैं। 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का राज्यवार आवंटन अनुबंध में दिया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए निधियों के आवंटन के मानदंड में शामिल हैं:

(i) राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक के साथ है। पंचायतों में सभी तीन स्तरों को अनुदान प्राप्त होगा।

(ii) संविधान के भाग IX और भाग IX-क के दायरे से बाहर रखे गए राज्य में शामिल क्षेत्रों के लिए अनुदान के आंवटन के संबंध में, संबंधित राज्य 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर आवंटन करेगा।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज-जीईएम इंटरफेस के माध्यम से पंचायतों में खरीद में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। इस इंटरफेस ने सभी पंचायतों को जीईएम के माध्यम से अपनी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करने और ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से निर्बाध तरीके से योजना/भुगतान करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत को और मजबूत करते हुए, मंत्रालय ने ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल को शामिल करके ऑनलाइन ऑडिट प्रक्रिया में संरचित परिणति पेश करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया है।

अनुबंध

दिनांक 12.03.2025 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का राज्यवार आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य/वर्ष**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	2625.00	1939.00	2010.00	2031.00	2152.00	2099.00
2	अरूणाचल प्रदेश	231.00	170.00	177.00	179.00	189.00	185.00
3	असम	1604.00	1186.00	1228.00	1241.00	1315.00	1283.00
4	बिहार	5018.00	3709.00	3842.00	3884.00	4114.00	4012.00
5	छत्तीसगढ़	1454.00	1075.00	1114.00	1125.00	1192.00	1163.00
6	गोवा	75.00	55.00	57.00	58.00	62.00	61.00
7	गुजरात	3195.00	2362.00	2446.00	2473.00	2619.00	2555.00
8	हरियाणा	1264.00	935.00	968.00	979.00	1036.00	1011.00
9	हिमाचल प्रदेश	429.00	317.00	329.00	332.00	352.00	343.00
10	झारखण्ड	1689.00	1249.00	1293.00	1307.00	1385.00	1351.00
11	कर्नाटक	3217.00	2377.00	2463.00	2490.00	2637.00	2572.00
12	केरल	1628.00	1203.00	1246.00	1260.00	1334.00	1301.00
13	मध्य प्रदेश	3984.00	2944.00	3050.00	3083.00	3265.00	3185.00
14	महाराष्ट्र	5827.00	4307.00	4461.00	4510.00	4776.00	4659.00
15	मणिपुर	177.00	131.00	135.00	137.00	145.00	142.00
16	मेघालय	182.00	135.00	140.00	141.00	149.00	146.00
17	मिजोरम	93.00	69.00	71.00	72.00	76.00	74.00
18	नागालैंड	125.00	92.00	96.00	97.00	102.00	99.00
19	ओडिशा	2258.00	1669.00	1728.00	1747.00	1851.00	1805.00
20	पंजाब	1388.00	1026.00	1062.00	1074.00	1138.00	1110.00
21	राजस्थान	3862.00	2854.00	2957.00	2989.00	3166.00	3087.00
22	सिक्किम	42.00	31.00	33.00	33.00	35.00	33.00
23	तमिलनाडु	3607.00	2666.00	2761.00	2791.00	2957.00	2884.00
24	तेलंगाना	1847.00	1365.00	1415.00	1430.00	1514.00	1477.00
25	त्रिपुरा	191.00	141.00	147.00	148.00	157.00	153.00
26	उत्तर प्रदेश	9752.00	7208.00	7466.00	7547.00	7994.00	7797.00
27	उत्तराखण्ड	574.00	425.00	440.00	445.00	471.00	458.00
28	पश्चिम बंगाल	4412.00	3261.00	3378.00	3415.00	3617.00	3528.00
	कुल	**60750.00**	**44901.00**	**46513.00**	**47018.00**	**49800.00**	**48573.00**
